न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 31/2022 G.C.M.S. No. 2022/114 **दर्ज दिनांक : 13.04.2022**

अपीलार्थिगण:

1. हनुवन्तसिंह पुत्र श्री भानसिंह, उम्र 66 वर्ष,
2. शम्भूसिंह पुत्र श्री भानसिंह, उम्र 58 वर्ष, जातिगण राजपूत निवासीगण चौहानों की ढाणी, चेण्डा, तहसील रोहट जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. देवीसिंह पुत्र श्री रूपसिंह,
2. शैतानसिंह पुत्र श्री रूपसिंह,
3. नाथूसिंह पुत्र श्री रूपसिंह,
4. जीवनसिंह पुत्र श्री रूपसिंह जाति राजपूत, निवासी चौहानों की ढाणी, चेण्डा, तहसील रोहट जिला पाली।
5. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री मोड़सिंह,
6. भैरूसिंह पुत्र श्री मोड़सिंह,
7. पिंकी कंवर पुत्री श्री मोड़सिंह,
8. सुरज कंवर पत्नी मोड़सिंह जाति राजपूत निवासी चौहानें की ढाणी, चेण्डा, तहसील रोहट जिला पाली।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी रोहट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा राजस्व विविध संख्या 44/2021 बअनवान हनुवन्तसिंह बनाम देवीसिंह में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2021 एवं प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:–

1. श्री विनोद कुमार, श्री नरेश रांगी, श्री राजेन्द्रसिंह विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री दौलत मकवाना, श्री नौरतन चौहान, श्री अनिल कुमार राठौड़ विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 15.10.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व विविध संख्या 44/2021 बअनवान हनुवन्तसिंह बनाम देवीसिंह में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

राजस्व अपील **प्राधिकारी**
पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251–क तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम चेण्डा में खसरा नम्बर 90, 56/2, 56/1 अपीलाण्ट की कृषि भूमि है, जिसमें आवागमन का रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। इस कारण से खसरा नम्बर 259 जो रास्ता है, इस रास्ते से मिलते हुए खसरा नम्बर 90/1 तथा 56 के उत्तर माठ के चिपते 20 फुट चौड़ाई का रास्ता अपीलाण्ट को उपलब्ध करवाया जावे क्योंकि अपीलाण्ट प्रार्थी का आवागमन पूर्व रास्ते से ही खसरा नम्बर 90/1 व 56 के उत्तर के मार्ग से चिपते चला आ रहा है। इस कारण से रास्ता उपलब्ध करवाया जावे। नोटिस व समन अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट को जारी किये गये तथा जवाब अप्रार्थी द्वारा दिया गया, परन्तु पत्रावली केम्प में ले जाकर अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये, दिनांक 22.12.2021 को पत्रावली बिना समझौते के व बिना सुनवाई के प्रार्थना पत्र खारिज कर रास्ता नहीं दिया। जबकि खसरा नम्बर 259 गैरमुमकीन रास्ता है तथा रेवेन्यू रेकर्ड में उक्त रास्ता दर्ज है तथा इस रास्ते के चिपते खसरा नम्बर 90 अपीलाण्ट की खातेदारी का है व कब्जा है। गिरदावरी में काश्त भी अपीलाण्ट की ही चली आ रही है। खसरा नम्बर 90 मूल का टुकड़ा 90/1 बना है तथा खसरा नम्बर 56 के दो टुकड़े 56/1 व 56/2 है। इसलिये इन खसरों में जो पूर्व में एक ही खसरा था, यहां पर रास्ता दिये जाने हेतु कोई भी कानूनी व तथ्यात्मक विवाद नहीं था। अपीलाण्ट द्वारा खसरा संख्या 90 के उत्तर की तरफ से आवागमन है परन्तु मौके पर रास्ता उपलब्ध नहीं है। खसरा नम्बर 90 व 56 के संयुक्त भूमि के टुकड़े हुए तथा इसमें तरमीम होकर नक्शा अलग किया गया व अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि अलग की गई, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा रेस्पोडेण्ट से मिलीभगत कर फर्द मौका जो तैयार की गई है, इसमें खातेदारी तथा कब्जाकाश्त की अपीलाण्ट की भूमि पर गलत रूप से रिपोर्ट में तथ्य दर्ज कर रास्ता नही दिये जाने बाबत् रिपोर्ट दी है तथा हल्का पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 92 गैरमुमकीन सड़क की तरफ रास्ता दिये जाने बाबत् बताया गया है परन्तु रेकर्ड में इस प्रकार से कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, न ही आवागमन है। उक्त रास्ता लम्बा है, ज्यादा खर्चीला है तथा सुविधाजनक भी नहीं है। इस कारण से रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने के लिए अपीलाण्ट को अधिक मुआवजा अदा करने के लिए उक्त रास्ता दिये जाने का विकल्प रेस्पोडेण्ट लेने का अधिकार नही रखता था, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा रेस्पोडेण्ट से मिलकर उक्त गलत रूप से रास्ता बताया गया है तथा उक्त रिपोर्ट तैयार की गई है। जिस समय रिपोर्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

तैयार की गई, उस समय राजस्व केम्प चल रहे थे व केम्प चल रहे होने के कारण अपीलाण्ट को रिपोर्ट तैयार होकर पेश होने की जानकारी नहीं थी, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट अपनी आपत्ति भी दर्ज नहीं करवा सका। दिनांक 20.09.2021 को रिपोर्ट तैयार की गई तथा मुकर्रर पेशी दिनांक 24.09.2021 को थी तथा इसी दिन रेस्पोडेण्ट द्वारा जवाब पेश किया गया परन्तु उक्त जवाब दावा का अपीलाण्ट जवाबुलजवाब भी जवाब भी पेश नहीं कर सका व दिनांक 20.09.2021 की रिपोर्ट का भी अपीलाण्ट आपत्ति दर्ज नही करवा सका तथा दिनांक 22.11.2021 को कैम्प में ले जाकर पत्रावली का निस्तारण कर दिया तथा केम्प को नोटिस भी अपीलाण्ट को तथा इसके अधिवक्ता को जारी नहीं किया गया। हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में डी.एल.सी. रेट की राशि भी दर्ज की गई है, परन्तु अपीलाण्ट को हल्का पटवारी द्वारा अपीलाण्ट के हस्ताक्षर गुमराह कर करवाये है व अपीलाण्ट द्वारा रिपोर्ट देखकर किसी प्रकार से हस्ताक्षर नहीं किये गये तथा रेस्पोडेण्ट महेन्द्रसिंह व गणपतसिंह द्वारा 90/1 व 56 में रास्ता दिये जाने हेतु अपना जवाब भी सहमति का प्रस्तुत किया था। अपीलाधीन आदेश नॉनस्पीकिंग है तथा प्रार्थना पत्र खारिज करने का कोई भी आधार नहीं दिया गया है तथा मज्मआम में अपीलाण्ट की उपस्थिति भी नही थी, फिर भी विधि के प्रावधानों के विरूद्ध जाकर उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना जैर अपील पारित कर दिया है, जो काबिल खारिज है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर खसरा नम्बर 90/1 व 56 के उत्तरी माठ के सहारे सहारे रास्ता दिये जाने का आदेश फरमायें।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट्स प्रार्थीगण ने मौजा पाती में स्थिति अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 90, 56/2, 56/1 में आवागमन का रास्ता उपलब्ध नहीं होने से रेस्पोडेण्ट अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 90/1 तथा 56 के उत्तत्तरी माठ के सहारे सहारे 20 फुट चौड़े रास्ते दिलाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2021 द्वारा खारिज किया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्त अपील प्रस्तुत की गयी।

2. अपीलाधीन आदेश एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की तलबी एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तथा भू–अभिलेख निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया। तत्पश्चात् प्रकरण यह अंकित करते हुए कि "हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रकरण पर लाये गये तमाम तथ्यों एवं उपस्थित मजमे आम को सुना, बाद अवलोकनार्थ प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में चलने काबिल नहीं होने से खारिज किया जाता है।"..... तथा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं नियम 69 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अवलोकन किये बिना तथा अपने विनिश्चय का कारण व आधार दर्शित किये बिना महज यांत्रिक रूप से एवं मनमानेपन से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जो विधि सम्मत नहीं माना जा सकता।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट्स बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रोहट द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 44/2021 बअनवान हनुवन्तसिंह वगैरह बनाम देवीसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 22.11.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक से अनिम्न अधिकारी से उभयपक्षकारान को सूचित करवाते हुए जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं नियम 69 राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

(सरकारी) नियम 1955 के आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण अपने विनिश्चय का आधार व कारण दर्शित करते हुए स्पीकिंग आदेश के साथ गुणावगुण के आधार पर प्रकरण अंतिम रूप से निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 10.11.2025 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner